राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉं राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com

क्रमांकःप.111 / नि.अ.मा.वि. / अनु.छात्रा / सत्र 2018–19 / पार्ट1 / 3038 जयपुर, दिनांकः 12/6/19

कार्यालय आदेश

वर्तमान में राजकीय/अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु अधिकतम 9 माह 15 दिवस तक छात्रावास संचालन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का सत्रावसान 15 मई को किया जाता है, परन्तुं छात्रावासों में आवासरत कुछ छात्र–छात्राओं की परीक्षाएं सम्पन्न नहीं होने के कारण एवं परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं के लिए 15 मई पश्चात भी छात्रावास के संचालन की आवश्यकता होती है।

अतः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि छात्रावासों की समय अवधि 15 मई पश्चात बढ़ाने हेतु आप स्वयं अपने स्तर पर आवश्यक तिथि, जिस दिनांक को परीक्षाएं समाप्त होगी तक छात्रावास की समयावृद्धि बढ़ाये जाने के संबंध में निर्णय करें। इस संबंध में जिला अधिकारी सभी आवश्यक औपचारिताएं अपने स्तर पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकःप.111 / नि.अ.मा.वि. / अनु.छात्रा / सत्र 2018–19 / पार्ट1 / जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीया राज्य मंत्री महोदया, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान।
7. सहायक निदेशक चतुर्थ, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक